



भारत सरकार,
कर्मचारी चयन आयोग,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
ब्लॉकस. 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधीरोड, नईदिल्ली - 110003

Government of India,
Staff Selection Commission
Min. of Personnel, Public Grievances &
Pensions,
Block No. 12, CGO Complex,
Lodhi Road, New Delhi - 110003

विज्ञप्ति

मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टाफ परीक्षा, 2020

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख : 05.02.2021 से 21.03.2021 तक
आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय : 21.03.2021 (23:00 बजे तक)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि : 23.03.2021 (23:00 बजे तक)
ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि : 25.03.2021 (23:00 बजे तक)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान): 29.03.2021
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (टियर-1) की तिथि : 01.07.2021 से 20.07.2021 तक
टियर-1। परीक्षा की तिथि (वर्णनात्मक पेपर): 21.11.2021

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है."

फा.सं. 3/5/2020-नी. व यो.।(खण्ड-1). कर्मचारी चयन आयोग विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों में एक सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय पद में वेतन बैंड-1 सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-1 में मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा ।

2. रिक्तियां

2.1 रिक्तियों का ब्योरा शीघ्र दिया जाएगा । रिक्तियों की अद्यतन स्थिति, यदि है, आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in->candidate's corner->Tentative vacancy>) पर दशाई जाएगी।

3. आरक्षण:

- 3.1 अनुसूचित जाति (अजा) / अनुसूचित जनजाति (अजजा) / अन्य पिछडा वर्ग (अपिव) / भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई.डब्ल्यू एस) एवं शारीरिक दिव्यांग (पी डब्ल्यू डी) इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण मौजूदा सरकारी आदेशों के अनुसार होगा ।
- 3.2 आयोग विभिन्न पदों के लिए संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करता है। किसी प्रयोक्ता विभाग की रिक्तियों की संख्या का निर्णय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर का रख-रखाव करना तथा विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण करना प्रयोक्ता विभागों के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है।

4. शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अनुज्ञेय अशक्तता :

- 4.1 दिव्यांगताओं, कार्यात्मक वर्गीकरण और कार्य निष्पादन हेतु शारीरिक अपेक्षाओं का ब्योरा निम्नानुसार है:

पद	अनुच्छेद 34 (1) के तहत निर्धारित बेंचमार्क दिव्यांगता	कार्यात्मक वर्गीकरण	कार्य करने हेतु शारीरिक अपेक्षाएं
मल्टी टास्किंग स्टॉफ	i. दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि ii. बधिर एवं कम सुनने वाला iii. गति विषयक दिव्यांगता, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, तेजाब हमले के पीड़ित iv. उपर्युक्त (i), (ii), एवं (iii) खंडों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों में बहु - दिव्यांगताएं	द.दि.-अ.द., नेत्रहीन, श्र.दि. अ.दि.-एक बांह, एक पैर, दोनों पैर, एक बांह एक पैर, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एएवी-तेजाब हमले के पीड़ित	एस- बैठना, एसटी- खड़ा होना, बीएन- झुकना, डब्ल्यू- चलना, एच- सुनना/ बोलना (संप्रेषण) आरडब्ल्यू- पढ़ना एवं लिखना एफ- संचालन (उँगलियों से) एसई-देखना

संक्षेपण : ओएच (अस्थि दिव्यांग)- ओए-एक बांह प्रभावित, ओएल-एक पैर प्रभावित, बीएल-दोनों पैर प्रभावित, ओएएल- एक बांह एवं एक पैर प्रभावित, एलसी- उपचारित कुष्ठ, डी-बौनापन और एएवी- तेजाब हमले के पीड़ित, एचएच- श्रवण दिव्यांग, वीएच (दृष्टि दिव्यांग) : बी- नेत्रहीन, एलवी- अल्प दृष्टि।

5. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

- 5.1 अभ्यर्थी :

- (क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल की प्रजा हो, या
(ग) भूटान की प्रजा हो , या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ड) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व टंजान्यिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन किया हो।

5.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है ।

5.3 ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

6. आयु सीमा: (कट-ऑफ तिथि अर्थात 01.01.2021 तक)

6.1 विभिन्न प्रयोक्ता विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार इन पदों के लिए आयु सीमाएं निम्नानुसार हैं:-

6.1.1 कट ऑफ तारीख को 18 से 25 वर्ष(अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1996 से पहले और 01.01.2003 के बाद न हुआ हो)

6.1.2 कट ऑफ तारीख को 18 से 27 वर्ष(अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 02.01.1994 से पहले और 01.01.2003 के बाद न हुआ हो)

6.2 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार हैं :-

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अ पि व	03 वर्ष
3.	शारीरिक दिव्यांग (अनारक्षित)	10 वर्ष
4.	शा दि (अपिव)	13 वर्ष
5.	शा दि (अजा / अजजा)	15 वर्ष
6.	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान	03 वर्ष

	अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	08 वर्ष
10.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
11.	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी : जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो (अजा / अजजा)	45 वर्ष की आयु तक
12.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं, जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं, जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक

- 6.3 आयोग द्वारा आयु के निर्धारण के लिए केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।
- 6.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके समूह 'ग' एवं 'घ' में सिविल पदों पर नियमित सरकारी नौकरी पहले से ही प्राप्त कर ली है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, जैसाकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के का.जा.सं. 36034/1/2014-स्था(आर.) में उल्लिखित है, वे उत्तरवर्ती नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि उन्होंने सिविल नौकरी में पदभार ग्रहण करने के तुरन्त बाद विभिन्न रिक्तियों, जिनके लिए उसने प्रारंभिक सिविल नौकरी में कार्यभार ग्रहण से पहले आवेदन किया था, के आवेदनों का तिथि वार ब्यौरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वः घोषणा/करता है/करती है/वचन देता है/वचन देती है,।
- 6.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

6.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो, अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।

6.7 स्पष्टीकरण:

भूतपूर्व सैनिक से आशय उस व्यक्ति से है-

6.7.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

6.7.1.1 जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा सेवा मुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवा निवृत्त हुआ हो या निर्मुक्त हुआ हो या छोड़ा गया हो; या

6.7.1.2 जिसे सैनिक सेवा या अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; या

6.7.1.3 जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो;

अथवा

6.7.2 जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी; अथवा

6.7.3 सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है;

अथवा

6.7.4 ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

6.7.5 प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ;

अथवा

6.7.6 भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

6.8 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट/ भू.पू.सै. आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।

7. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

7.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, जब कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा इन प्रमाणपत्रों की मांग की जाए, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/आकव/शादि/भू.पू.सै के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन को अनारक्षित (अना)/संगत श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा । प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न है । दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा । किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र को अस्वीकार का दिया जाएगा ।

7.2 अजा/अजजा/अपिव/आकव/दि.जन/भू.पू.सै स्थिति या किसी अन्य लाभ नामतः शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि की निर्णायक तिथि, जहां पर अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी ।

7.3 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है।

7.4 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती । अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/भू.पू.सै/

शादि/ई.डब्ल्यू.एस. दर्जे का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से उन्हें वारित कर दिया जाएगा ।

8. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता :

- 8.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी द्वारा वांछित है तो प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है।
- 8.2 न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में, अनुबंध-I पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है ।
- 8.3 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैया की गई प्रलिपिक की सुविधा को चुनने का विवेकाधिकार होगा । ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी को इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा ।
- 8.4 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वयं के प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए । अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा । इसके अलावा प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा 14.7 पर दी गई सूची के अनुसार) मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी । अनुबंध-II पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के अलावा प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाएगी । यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा ।
- 8.5 अभ्यर्थी का प्रलिपिक इस परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी प्रलिपिक के रूप में दूसरे शा.दि.अभ्यर्थी की सहायता करते हुए पाया जाता है तो दोनों अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी
- 8.6 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 8.1 और 8.2 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा ।

- 8.7 उपरोक्त पैरा 8.1 और 8.2 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा ।
- 8.8 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के साथ प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 8.9 एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लेंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लेंस लाना होगा।
- 8.10 शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रलिपिक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय प्रलिपिक/अतिरिक्त समय की उनकी पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे । ऐसे समर्थक दस्तावेजों को प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में, परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा ।

9. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता: (01.01.2021 को)

- 9.1 अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो ।
- 9.2 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई समस्त डिप्लोमा/डिग्रियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो । तदनुसार, यदि ऐसी डिग्रियां उस संगत समय के दौरान मान्य न हों जब अभ्यर्थी ने उन्हें अर्जित किया है, उन्हें शैक्षिक योग्यता के प्रयोजनार्थ स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 9.3 उन सभी अभ्यर्थियों को, जिन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है, कट ऑफ तारीख अथवा उससे पूर्व यथा-निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के सभी संगत मूल प्रमाण पत्र, जैसे- अंक तालिकाएं/अनंतिम प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल रहने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी । वह अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तारीख अर्थात् को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी

विचार किया जाएगा। यह पुनः बताया जाता है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का परिणाम संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण अंतिम तिथि के पहले परिणाम की महज प्रक्रिया शुरू होने से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है।

9.4 समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में, ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त संगत समकक्षता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संबंधित प्रयोक्ता विभागों द्वारा लिया जाएगा ।

10. आवेदन कैसे करें :

10.1 आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है । विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञप्ति के अनुबंध-III और अनुबंध-IV को देखें । एकबारगी पंजीकरण प्रपत्र और ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को अनुबंध-III क और अनुबंध-IV क के रूप से संलग्न किया गया है।

10.2 ऑनलाइन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ परीक्षा-विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह स्पष्टतः फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। ऐसे बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।

10.3 ऑनलाइन आवेदनों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21.03.2021(23:30बजे) है ।

10.4 अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक दबाव होने के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर लॉग-इन करते समय विसंबंधन/असमर्थता अथवा असफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें तथा अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।

10.5 यदि अभ्यर्थी पूर्वकथित कारणों अथवा आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने आवेदन अंतिम तिथि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो इसके लिए आयोग किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करेगा ।

10.6 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। ऑनलाइन आवेदनपत्र जमा करने के बाद किसी

भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन / सुधार / संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोध, जैसे- डाक, फैंक्स, ईमेल, दस्ती आदि अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

11 आवेदन शुल्क :

11.1 देय शुल्क: 100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए) ।

11.2 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) दिव्यांग अभ्यर्थियों और भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।

11.3 शुल्क का भुगतान बी.एच.आई.एम. यू.पी.आई, वीजा, मास्टर कार्ड, मएस्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड का उपयोग करके नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान को तैयार करके भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में नगद किया जा सकता है ।

11.4 ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की सुविधा **23.3.2021 (23:30 बजे)** तक उपलब्ध होगी। तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से नगद भुगतान करना चाहते हैं, वे **29.03.2021** तक बैंक के कार्य-समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नगद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने **25.03.2021 (23:30 बजे)** तक चालान तैयार कर लिया है ।

11.5 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कचआ में जमा हो गया है । यदि कचआ द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति '**अपूर्ण (Incomplete)**' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी । इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैया किए गए लिंक 'Payment Status' पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण, अभी भी अपूर्ण है, को **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा ।

11.6 एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा ।

12. परीक्षा केन्द्र

12.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में केन्द्र (केन्द्रों) को इंगित करना होगा जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों के ब्योरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ शासित राज्य	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/ वेबसाइट
1.	भागलपुर (3201), दरभंगा(3202), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज -211 002 http://www.ssc-cr.org
2.	पोर्ट ब्लेयर (4802), रांची (4205), बालासोर (4601), बेहरामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), धेनकलाल (4611), राऊरकेला (4610), सम्बलपुर (4609), गंगटोक (4001), हुगली (4418), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 www.sscer.org
3.	बेलागवी (9002), बेंगलूरु (9001), हबली (9011), गुलबर्गा (9005), मंगलूरु (9008), मैसूरु (9009), शिवामोगा (9010), उडुपी (9012), अरणाकुलम (9213), कन्नूर (9202), कोल्लम (9210), कोट्टयम (9205), कोझिकोड (9206), त्रिशूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211),	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई"विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलूरु, कर्नाटक- 560034 www.sscckr.kar.nic.in
4.	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), सागर (6015), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग- भिलाई (6205),	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492007 www.sscmpr.org
5.	इटानगर(5001) , डिब्रूगढ़(5102) , गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम,	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग,

	(5107), सिलचर(5111), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), शिलांग (5401), इम्फाल (5501), चूड़ाचांदपुर (5502), उखरूल (5503), अगरतला (5601) आइजोल (5701)	मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट बशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम- 781006 www.sscner.org.in
6.	देहरादून (2002) , हल्द्वानी (2003) , हरिद्वार (2005), रुड़की (2005), दिल्ली (2201) , अजमेर (2401), अलवर(2402), भरतपुर (2403), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408) उदयपुर (2409), सीकर (2411),	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 www.sscnr.net.in
7.	चण्डीगढ़/मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), लेह (1005), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) (1007), जालंधर (1402) , पटियाला (1403), अमृतसर (1404)	पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर- 9, चंडीगढ़-160009 www.sscnwr.or g
8.	चिराला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाड़ा (8009), कर्नूल (8003), नेल्लौर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), पुडुचेरी (8401), चेन्नई (8201) , कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 www.sscsr.gov.in
9.	पणजी (7801), अहमदाबाद(7001) , आनन्द (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाना (7013), राजकोट (7006) सूरत (7007), वदोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र) / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड,

(7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 (www.sscwr.net)
---	---

- 12.2 अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प दे सकता है। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।
- 12.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी केन्द्र को रद्द कर दे और उस केन्द्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केन्द्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केन्द्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर स्थानांतरित कर दे।
- 12.4 परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उस क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जाएगा, जिस क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार में अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केन्द्र आते हैं। इस भर्ती से संबंधित अन्य समस्त कार्यकलापों को उक्त क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

13. परीक्षा की रूपरेखा

- 13.1 इस परीक्षा में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर- I) और वर्णनात्मक पेपर (पेपर- II) शामिल होंगे।
- 13.2 विज्ञप्ति में उल्लिखित परीक्षा की तिथियां अनंतिम हैं। परीक्षा के कार्यक्रम में किसी बदलाव के बारे में, अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही सूचित किया जाएगा।
- 13.3 प्राप्तियों के पुनर्मूल्यांकन/पुनः जांच किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में किसी पत्राचार का उत्तर नहीं दिया जाएगा।
- 13.4 **पेपर- I (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा):**

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या / अधिकतम अंक	समय अवधि (सभी चार भागों के लिए)
I	सामान्य अंग्रेजी	25 / 25	90 मिनट (पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 120 मिनट)
II	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	25 / 25	
III	संख्यात्मक अभिरुचि:	25 / 25	
IV	सामान्य जानकारी	25 / 25	

- 13.4.1 पेपर-I परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ-बहु-विकल्पीय प्रश्न होंगे। भाग- II, III एवं IV के प्रश्न अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों, भाषाओं में तैयार किए जाएंगे ।
- 13.4.2 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे । अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें ।
- 13.4.3 अभ्यर्थियों द्वारा पेपर- I (कंप्यूटर आधारित परीक्षा), यदि इसे कई पालियों (शिफ्टों) में किया जाता है, तो इसमें प्राप्त अंकों को दिनांक 07.02.2019 की विज्ञप्ति सं. 1-1/2018- नी. एवं यो.- I के माध्यम से आयोग द्वारा प्रकाशित सूत्र का प्रयोग करते हुए सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का अंतिम योग्यता-सूची और कट-ऑफ अंकों का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाएगा ।
- 13.4.4 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के उपरांत अनंतिम उत्तर कुंजियों को आयोग की वेबसाइट (<http://ssc.nic.in>) पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजियों का अवलोकन कर सकते हैं और यदि इस संबंध में कोई अभ्यावेदन है, तो निर्धारित समय के भीतर प्रति प्रश्न 100/- का भुगतान कर अपना अभ्यावेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम, जैसे- पत्र, आवेदन, ईमेल आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। उत्तर कुंजियों को अंतिम रूप देते समय उत्तर कुंजियों के संबंध में अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

13.5 पेपर-II (वर्णनात्मक):

विषय	अधिकतम अंक	समयावधि
अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में लघु निबंध/पत्र	50	30 मिनट (पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार प्रलिपिकों के लिए पात्र अभ्यर्थियों के लिए 40 मिनट)

- 13.5.1 पेपर-II लिखित पद्धति में वर्णनात्मक प्रकार का होगा जिसमें अभ्यर्थी को अंग्रेजी में अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में लघु निबंध/पत्र लिखना होगा।
- 13.5.2 पेपर-II केवल अर्हक स्वरूप का होगा जिसका आशय, इस पद के समूह ग के रूप में पुनः श्रेणीकरण के तथ्य को ध्यान में रखकर और कार्य अपेक्षाओं के अनुरूप बुनियादी भाषा कौशल का परीक्षण किया जाना है। तथापि, यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा पेपर-I में बराबर सामान्यीकृत अंक प्राप्त किए जाते हैं तो अभ्यर्थियों द्वारा पेपर-II में प्राप्त अंकों का प्रयोग उनकी मेरिट का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा।

13.5.3 पेपर-II केवल उन अभ्यर्थियों के लिए होगा जो आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए पेपर-I में निर्धारित की गई कट-ऑफ को पूर्ण करते हों।

13.5.4 पेपर-II में अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थानों पर अपना सही रोल नंबर लिखना चाहिए। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका में संगत कॉलम में हस्ताक्षर करने चाहिए और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी लगाना चाहिए। जिन उत्तर पुस्तिकाओं में रोल नंबर, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान नहीं होगा, उनमें शून्य अंक दिया जाएगा।

13.5.5 अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका (पेपर-II) के अंदर कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं लिखनी चाहिए, जैसे- नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पता आदि । इन निर्देशों का पालन करने में विफलता को अनुचित साधनों के प्रयोग के रूप में माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को शून्य अंक दिया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

13.6 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर- I) के लिए निर्देशात्मक पाठ्यक्रम :

13.6.1 पद संबंधी कार्यों को ध्यान में रखते हुए 'सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति' पर प्रश्न गैर शाब्दिक होंगे। संख्यात्मक आभिरूचि और सामान्य अंग्रेजी पर प्रश्न साधारण और उस स्तर के होंगे कि एक औसतन मेट्रिकुलेट उनका आसानी से उत्तर दे सके। सामान्य जानकारी पर प्रश्न भी उसी स्तर के होंगे ।

13.6.2 **अंग्रेजी भाषा:** अभ्यर्थी की अंग्रेजी भाषा की समझ, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक, विलोमार्थक और उसका सही प्रयोग इत्यदि तथा उसकी लेखन योग्यता की जांच की जाएगी ।

13.6.3 **सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति :** इसमें गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्न होंगे । इस परीक्षा में सादृश्यों तथा अंतरों, स्थानिक आभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, आंकड़ों का वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । इस परीक्षण में अभ्यर्थी की अमूर्त विचारों व चिह्नों और उनके संबंध, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों को करने संबंधी अभ्यर्थी की योग्यताओं की जांच के लिए प्रश्न भी शामिल होंगे ।

13.6.4 **संख्यात्मक आभिरूचि :** इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित प्रश्नों, पूर्णांकों का आभिकलन, दशमलव और भिन्नों तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, बट्टा, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, समय और कार्य इत्यदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे ।

13.6.5 **सामान्य जानकारी :** अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे । सामयिक घटनाओं और दिन-प्रतिदिन के

अवलोकन से संबंधित ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती है।

13.6.6 40% और उससे आधिक की दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इस प्रश्नपत्र में मानचित्र/ग्राफ/आरेख/सांख्यिकीय आंकड़े इत्यदि के कोई घटक नहीं होंगे।

13.7 **पेपर-II:** यह प्रश्नपत्र, पद के लिए निर्धारित की गई शैक्षिक योग्यता के अनुरूप मूल भाषा कौशल परीक्षण करने के लिए अंग्रेजी व हिन्दी में और जहां तक सम्भव हो, **अनुबंध-XIII** में उल्लिखित संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं में तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को एक लघु निबंध/पत्र लिखना होगा।

14. परीक्षा में प्रवेश

14.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर-I) में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।

14.2 आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय समर्थनकारी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। शारीरिक और चिकित्सा मानकों को प्रयोगकर्ता विभागों द्वारा परिणाम की घोषणा के बाद सुनिश्चित किया जाएगा। दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14.3 परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) और आयोग के संबंधित

क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा चयनित परीक्षा केंद्र स्थित है, का अवलोकन करते रहें (ब्योरा पैरा 12.1 पर है)।

- 14.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयसे संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।
- 14.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकृत आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- 14.6 परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।
- 14.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य, जिसमें वही जन्म तिथि अंकित हो जो प्रवेश-पत्र में छपी है, लाना अनिवार्य है, जैसे:
- 14.7.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
 - 14.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,
 - 14.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
 - 14.7.4 पैन कार्ड,
 - 14.7.5 पासपोर्ट,
 - 14.7.6 विश्वविद्यालय / कॉलेज / स्कूल द्वारा जारी पहचान-पत्र,
 - 14.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)
 - 14.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
 - 14.7.9 केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो प्रमाण-पत्र
- 14.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो उम्मीदवार को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे-सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 14.9 पैरा 8.1 और 8.2 के अनुसार शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 14.10 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ला सकता है।
- 14.11 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

15. दस्तावेज सत्यापन (डीवी)

- 15.1 दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं. 15.3 में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- 15.2 दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार की हालिया रंगीन फोटो और पैरा 14.7 में दी गई सूची के अनुसार एक मूल फोटो पहचान-पत्र लाना आवश्यक है।
- 15.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:
- 15.3.1 मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र
- 15.3.2 यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।
- 15.3.3 यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र।
- 15.3.4 निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो तो।
- 15.3.5 भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए:
- 15.3.5.1 अनुबंध-VI के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हो तो
- 15.3.5.2 अनुबंध-VII में वचनबंध।
- 15.3.5.3 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र
- 15.3.6 यदि आयु में कोई छूट चाहते हैं, तो संगत प्रमाण-पत्र
- 15.3.7 सरकार/सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र
- 15.3.8 ऐसा अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम बदलने का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- 15.3.8.1 महिलाओं के विवाह के मामले में: पति के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 15.3.8.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पति से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
- 15.3.8.3 महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;
- 15.3.8.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

15.3.9 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

16. राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों (यूटी) के संबंध में वरीयताएं:

- 16.1 इस परीक्षा के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों में तैनात किया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्राथमिकता के क्रम में राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों की वरीयता देना अपेक्षित है। वरीयता देने के लिए राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कोड अनुबंध- XIV में दिए गए हैं।
- 16.2 अभ्यर्थी अनुबंध- XIV में दी गई सूची के अनुसार सभी राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों के लिए वरीयता दे सकते हैं या अपनी पसंद / सुविधा के अनुसार सीमित प्राथमिकताएं दे सकते हैं। यदि कोई अभ्यर्थी सीमित प्राथमिकताओं का विकल्प चुनना चाहता है, तो उसे वरीयता देने के लिए शेष कॉलम/बक्से में 'कोई विकल्प नहीं' यानी 'X' भरना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई अभ्यर्थी वरीयता क्रम में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और 'अखिल भारतीय' के केवल तीन राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों का चयन करना चाहता है, तो उसे G,H,C,12,X,X,X... के रूप में वरीयता देनी होगी।

- 16.3 अभ्यर्थियों को केवल उन्हीं राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों की रिक्तियों पर चयन के लिए विचार किया जाएगा , जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी वरीयता दी है। यदि किसी अभ्यर्थी ने सभी राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों के लिए विकल्प दिया है, तो सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए उसके नाम पर विचार किया जाएगा। तथापि, यदि किसी अभ्यर्थी ने सीमित वरीयताएं दी हैं, तो उसके नाम पर केवल उन्हीं राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा, जिनके लिए उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में वरीयता दी है। उदाहरण के लिए यदि किसी अभ्यर्थी ने दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा और 'अखिल भारतीय' के केवल तीन राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों के लिए वरीयता दी है, तो उसके नाम पर केवल दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा और 'अखिल भारतीय' रिक्तियों के लिए ही विचार किया जाएगा और किसी अन्य राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों के लिए विचार नहीं किया जाएगा चाहे अभ्यर्थी की योग्यता और अन्य राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्तियां कुछ भी हों।
- 16.4 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों की वरीयता को अंतिम माना जाएगा और किसी भी परिस्थिति में राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों की वरीयता में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- 16.5 इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे राज्यों / संघराज्य क्षेत्रों के संबंध में वरीयता देते समय उचित तत्परता व सावधानी बरतें।

17. चयन का तरीका:

- 17.1 अभ्यर्थियों को पेपर- I परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर पेपर- II परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अभ्यर्थियों के सामान्यीकृत अंकों का उपयोग योग्यता और अंतिम चयन के लिए किया जाएगा।
- 17.2 पेपर- I में कट-ऑफ श्रेणी-वार और राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार अलग-अलग होगी। जैसाकि एमटीएस की रिक्तियां दो आयु-समूह, अर्थात (i) 18 से 25 वर्ष और (ii) 18 से 27 वर्ष में हैं, आयोग पेपर-I में आयु समूह-वार, श्रेणी-वार और राज्यों / संघराज्य क्षेत्र-वार कट-ऑफ निर्धारित कर सकता है।
- 17.3 पेपर-II अर्हक प्रकृति का होगा। पेपर-II में अनारक्षित श्रेणी के लिए अर्हक अंक 40% और अन्य सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 35% होंगे। तथापि, जब पेपर-I में एक से अधिक अभ्यर्थी बराबर सामान्यीकृत अंक प्राप्त करते हैं तो अभ्यर्थियों द्वारा पेपर-II में प्राप्त किए गए अंकों को उस स्थिति में योग्यताक्रम निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाएगा।
- 17.4 पेपर-I में प्रदर्शन और पेपर-II में कट-ऑफ अंक प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना के अनुसार उनकी पात्रता की जांच करने के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जिन पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेज सुव्यवस्थित पाए जाएंगे, उनके नाम पर अंतिम चयन के लिए विचार किया जाएगा।

- 17.5 अंतिम चयन और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों का आबंटन अभ्यर्थियों के पेपर-1 में प्रदर्शन, उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र में दी गई राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों की वरीयता और अभ्यर्थियों के आयु-समूह के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों के पेपर-1 में सामान्यीकृत अंकों का उपयोग योग्यताक्रम निर्धारित करने के लिए किया जाएगा और अभ्यर्थियों के नाम पर केवल उन्हीं राज्य/संघराज्य क्षेत्र की रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा जिनके लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अपनी वरीयता दी है।
- 17.6 जैसाकि एमटीएस की रिक्तियां दो आयु-समूह, अर्थात (i) 18 से 25 वर्ष और (ii) 18 से 27 वर्ष में हैं, अंतिम परिणाम में आयु समूह-वार, श्रेणी-वार और राज्यों / संघराज्य क्षेत्र-वार कट-ऑफ अलग-अलग होगी। उन अभ्यर्थियों के लिए जो दोनों आयु-समूह के लिए पात्र हैं, रिक्तियां पहले 18-25 वर्ष के आयु-समूह में भरी जाएंगी।
- 17.7 आबंटित राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों का तदनंतर आबंटन आयोग के क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मानक विधि का प्रयोग करके किया जाएगा।
- 17.8 यदि आयोग की राय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपिव, भूपूसै, आपिव और शारीरिक दिव्यांग श्रेणियों से संबंधित आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभवना नहीं है, तो इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मानकों में छूट देकर अर्हक किया जा सकता है।
- 17.9 अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै, आपिव और शादि श्रेणियों के वे अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों /उनकी श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्ति, जो भी उनके लिए लाभकारी हो, में सहयोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियों को पात्र अजा, अजजा, अपिव, भूपूसै, आपिव और शादि अभ्यर्थियों से अलग से भरा जाएगा।
- 17.10 अजा, अजजा, अपिव,भूतपूर्व सैनिक, आपिव और शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में । ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा । इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

- 17.11 दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह सेवा/पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए हर प्रकार से उपयुक्त हो।
- 17.12 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- 17.13 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- 17.14 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यलय द्वारा आवंटित पदों पर अपनी पुष्टि हेतु आवंटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
- 17.15 यदि परीक्षा के किसी भी टियर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।
- 17.16 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या संबंधित प्रयोक्ता विभाग से अंतिम परिणाम घोषणा होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे संबंधित प्रयोक्ता विभाग से तुरंत संपर्क करना चाहिए।
- 18. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा**
- 18.1 ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगा:-
- 18.1.1 टियर-II परीक्षा में कुल अंक
- 18.1.2 जन्म तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाती है।
- 18.1.3 वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

19. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

19.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी भी कदाचार के लिए दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा:

क्र. सं.	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना अथवा प्रभावित करना	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो	7 वर्ष

	बनाना।	
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

19.2 आयोग, यदि उचित समझे, तो इस मामले को पुलिस / जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों / फॉरेंसिक विशेषज्ञों, आदि द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकता है।

20. आयोग का निर्णय अंतिम: पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, मेरिट सूची और संगठनों के आबंटन, कदाचार में संलिप्त होने पर वारित करने से संबंधित सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछ-ताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगी।

21. न्यायालय का क्षेत्राधिकार : इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

22. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.जा.संख्या 39020/1/2016-स्था.(ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट अथवा नेशनल कैरियर सर्विस (एनसीएस), श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग के क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा :**(i)** अभ्यर्थी का नाम **(ii)** पिता/पति का नाम **(iii)** जन्म तिथि **(iv)** श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/शादि/आपिव/भूपूसे) **(v)** अभ्यर्थी का लिंग **(vi)** शैक्षिक योग्यता **(vii)** अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक **(viii)** रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यताक्रम का निर्धारण किया गया है **(ix)** पूरा पता **(x)** ई-मेल पता । तथापि, आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पास सार्वजनिक रूप से उपर्युक्त विवरणों को प्रकट न करने का विकल्प रहेगा । तदनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंक आयोग/एनसीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे जिन्होंने उपर्युक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया अथवा अनजाने में विकल्प नहीं चुना है।

23. अयोग्यता: कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित है, या (ख) जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उसने किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के लिए लागू पर्सनल लॉ के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी है, उस व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

24. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
(ख)	अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
(ग)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई किया गया दावा ठीक नहीं है और/अथवा अभ्यर्थी पात्र नहीं पाया जाता है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(घ)	अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लूएस/शादि. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(ङ.)	केवल बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(च)	केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी, जो आयु में छूट का दावा करते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय सतत सेवा की अवधि, जोकि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से तुरंत पहले की अवधि के दौरान तीन वर्ष से कम न हो, के संबंध में अपने कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक-V) में प्रमाणपत्र देना चाहिए। यदि उनका चयन किया जाता है तो नियुक्ति के समय तक उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारी बने रहना चाहिए।
(छ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। आयोग को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
(ज)	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें।

	अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा नवीनतम आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में (किसी भी स्तर पर) एक से अधिक बार बैठा है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(झ)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के किसी भी ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(ञ)	अपाठ्य /धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ट)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाक/फैक्स/ई-मेल/दस्ती के माध्यम से प्राप्त ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ठ)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस .के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ड)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य,जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड,विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो,द्वारा जारी पहचान पत्रमूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।यदि फोटो पहचान पत्र में जन्मतिथि मुद्रित नहीं है तो अभ्यर्थी को अपने जन्मतिथि के साक्ष्य में अतिरिक्त मूल प्रमाणपत्र (पैरा 14.8 के अनुसार) लाना चाहिए । जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में लाने वाले फोटो पहचान पत्र/ प्रमाणपत्र तथा प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्मतिथि बेमेल होने के मामले में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 8.1 और 8.2 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लानी होगी।
(ढ)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/ साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी ।
(ण)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
(त)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(थ)	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र) । महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा

	शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।
(द)	ऑनलाईन आवेदन-पत्र में, अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए हुए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (20 केबी से 50 केबी) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह स्पष्टतः फोटोग्राफ पर अंकित होनी चाहिए। ऐसे बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए।

अवर सचिव (नी. एवं यो.-I)

अनुबंध-1

परीक्षार्थी की लिखने संबंधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ग्राम/जिला/राज्य के निवासी हैं, जोकि(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं उनकी लेखन क्षमताओं को प्रभावित हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

टिप्पणी: संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..... (जिले का नाम) (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) में स्थित(केंद्र का नाम) में अनुक्रमांक है।

मेरी शैक्षिक योग्यता है।

मैं सूचित करता/करती हूं कि (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता है । यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:

तारीख:

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन ' एक बारगी पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें ।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
 - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
 - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
 - ग. आधार संख्या । यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा)
 - i. वोटर आईडी कार्ड
 - ii. पैन
 - iii. पासपोर्ट
 - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
 - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
 - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
 - घ. बोर्ड, अनुक्रमांक और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का वर्ष के बारे में जानकारी।
 - ड. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं ।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
 - क. मूलभूत विवरण
 - ख. अतिरिक्त जानकारियां, संपर्क विवरण
 - ग. घोषणा।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

- क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात् आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
- घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल हैं:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
 - ii. अनुक्रमांक
 - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या -7: लिंग
- झ. क्रम संख्या- 8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (सर्वोच्च)
- ञ. क्रम संख्या- 9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/ पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेजा जाता है तथा स्क्रीन पर आपके पंजीकरण संख्या को प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण संख्या और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर आपके अब तक के भरे गए 'मूलभूत विवरण' से संबंधित सूचना प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संपादन कर सकते हैं अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए स्क्रीन के सबसे नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।
- फ. क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट ले तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'आई एग्नी' पर क्लिक करें।
- म. 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको संबंधित किसी एक ओटीपी दर्ज करना होगा।

- य. मूलभूत सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' केवल दो बार बदला जा सकता है। अतः एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें ।
 7. आपको पुनः सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

BASIC DETAILS

Edit

1a. Do you have Aadhaar ? *

Yes No

1a. Aadhaar Number

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID *

Voter ID Card

Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number *

BRHPK3731M

2a. Name *

SAMPLE NAME

Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate

Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name *

SAMPLE NAME

2c. Have you ever changed Name?

Yes No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

1.Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate

2.Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name *

SAMPLE FATHER NAME

4a. Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

1.Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate

2.Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name *

SAMPLE MOTHER NAME

अनुबंध-IIIए (2/4)

5a. Date Of Birth (DD/MM/YYYY) *

01/01/1996

Date Of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) *

01/01/1996

6. Matriculation (10th Class) Examination details :

(i). Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board *

Central Board of Secondary Education (CBSE) ▼

(iii). Roll Number *

301739

1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

(iv). Verify Roll Number *

301739

(v). Year of Passing *

2010 ▼

(vi). Verify Year of Passing *

2010 ▼

7a. Gender *

Male Female Transgender

7b. Verify Gender *

Male Female Transgender

8. Level of Education Qualification *

Graduation ▼

9a. Mobile Number *

8111111111

9b. Verify Mobile Number *

8111111111

10a. Email ID *

sample123@gmail.com

10b. Verify Email ID *

sample123@gmail.com

Save

Next

Reset

Close

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

[Edit](#)

11a. Category * General EWS OBC ST SC

11b. Verify Category * General EWS OBC ST SC

12. Nationality *

13. Identification Marks *

14a. Are you a Person with Benchmark Disability? * Yes No

14b. Type of Disability

NOTE

VH: Blindness and low vision.

HH: Deaf and hard of hearing.

OH: Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.

Others: Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address *

15b. State/ UT *

15c. District *

15d. PIN Code *

16. Is Present Address same as Permanent Address? Yes No

17a. Present Address *

17b. State/ UT *

17c. District *

17d. PIN Code *

18. Contact details for other nationals

[Previous](#)

[Save](#)

[Next](#)

[Reset](#)

[Close](#)

DECLARATION

Declaration : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage,my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

भाग-II (ऑनलाईन आवेदन फॉर्म)

1. ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:

क.हाल ही की (अर्थात परीक्षा की विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तारीख से अधिकतम तीन महीने पुरानी) जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन की गई पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटोग्राफ। छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) * 4.5 (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ टोपी, चश्मा के बिना होना चाहिए और उसमें दोनों कान दिखाई देने चाहिए। जिस तारीख को फोटो ली गई है, वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। धुंधली फोटो वाले आवेदन भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

ख.जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए गए हस्ताक्षर की छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई)* 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अपठनीय हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

ग.शैक्षिक योग्यता जैसे उत्तीर्ण वर्ष, अनुक्रमांक, प्रतिशत/सीजीपीए, बोर्ड का नाम आदि का ब्योरा।

2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाईन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत '**Multi Tasking (Non-Technical) Staff Examination 2020**' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें ।
4. क्रम सं1-. से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। **यद्यपि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण ब्योरे में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अपने डैशबोर्ड के बाएँ हाथ के ऊपरी कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration" टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।**
5. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
6. क्रम संख्या-16: यदि आप सशस्त्र बल में सेवारत अथवा एक भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सेवारत/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
7. क्रम संख्या-17.1: क्या आप प्रमत्तिकीय पक्षाघात से पीड़ित हैं अथवा नहीं सूचना प्रदान करें ।
8. क्रम संख्या-17.2: यदि आपको लिखने के लिए शारीरिक सीमाएँ हैं तथा प्रलिपिक की आवश्यकता है तो इंगित करें । कृपया अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-8 को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

9. क्रम संख्या-17.3 से 17.5: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-8 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
10. क्रम संख्या-18: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें।
11. क्रम संख्या-19: प्राथमिकता के क्रम में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए अपना वरीयता इंगित करें। आपको सलाह दी जाती है कि आपको जैसा अच्छा लगे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक से अधिक वरीयता दें।
12. क्रम संख्या-20: कृपया अपनी सर्वोच्च योग्यता इंगित करें।
13. क्रम संख्या 21: क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित है तो सूचना प्रदान करें। यह केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए लागू है।
14. क्रम संख्या 22: कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा संख्या-22 देखें और तदनुसार भरें।
15. क्रम संख्या 23, 24 और 25: वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
16. अपना हाल का फोटोग्राफ अपलोड करें (परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए) जैसा कि उपर्युक्त क्रम संख्या-1क पर निर्दिष्ट किया गया है। कृपया यह सुनिश्चित करें की जिस तारीख को फ़ोटो ली गई है वह फ़ोटो पर अंकित हो अन्यथा बिना तारीख अंकित फोटोग्राफ वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा। धुंधले फोटोग्राफ वाले आवेदनों को भी रद्द कर दिया जाएगा।
17. जैसा कि ऊपर क्रम संख्या-1 ख पर विनिर्दिष्ट किया गया है अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। **अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।**
18. क्रम संख्या-26: उपर्युक्त अपलोड किया गया फोटोग्राफ परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने के तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और जिस तारीख को फ़ोटो ली गई है वह फ़ोटो पर स्पष्टतः अंकित होनी चाहिए। आपके फोटोग्राफ लिए जाने की तारीख भरें।
19. क्रम संख्या-27: अगर फोटोग्राफ लेने की तारीख फोटोग्राफ पर स्पष्टतः अंकित है तो 'Yes' का चयन करें।
20. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि आप स्वीकार कराते हैं तो "मैं सहमत हूँ" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।
21. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। **अगर आप किसी भी प्रविष्टि का संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/Modify' बटन दबाएं और आगे बढ़ाने से पहले अपेक्षित संशोधन कर लें।** जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही तरीके से भरी गई है तो जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन 'सबमिट' करें। **आवेदन जमा करने के बाद आप ऑनलाईन आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे।**
22. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।

23. शुल्क का भुगतान बीएचआईएम यूपीआई,नेट बैंकिंग अथवा वीसा,मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग कर ऑनलाइन के माध्यम से तथा एसबीआई चालान जेनरेट कर एसबीआई के शाखा में नकद के रूप में किया जा सकता है। शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-11 का संदर्भ लें।
24. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

MULTI TASKING (NON-TECHNICAL) STAFF EXAMINATION, 2020

Instructions

PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name:	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name:	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY) (As per the Matriculation Certificate):	01/01/1996
6. Age as on 01/01/2021:	25.0
7. Gender:	Male
8. Category:	SC
9. Whether Person with Disability (PwD)? :	Yes
9.1. If Yes, Type of Disability:	Others
10. Nationality:	Citizen of India
11. Mark of Visible Identification:	MOLE ON RIGHT CHEEK
12. Matriculation (10 th Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
13. Matriculation (10 th Class) Roll No.:	301739
14. Matriculation (10 th Class) Year of Passing:	2010
15. Preference of Examination Centres:*	CR-Agra(3001) ▼ CR-Jhansi(3008) ▼ CR-Bhagalpur(3201) ▼

16.1. Whether Ex-Serviceman (ESM)? : * Yes No

16.2. Length of Service in the Armed Forces (In years):

16.3. Date of Discharge from Armed Forces (DD/MM/YYYY):

16.4. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM) : Yes No
[Please refer to the Notice of Examination, Para-6.4](#)

16.5. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

17.1 Whether suffering from Cerebral-Palsy: Yes No

17.2 Do you have a physical limitation to write and Scribe is required to write on your behalf (Certificate to this effect from the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government Health Care institution as per Notice of the Examination, would be required at the time of Examination.)?: Yes No

17.3 Whether scribe is required?: Yes No
[Please see Para - 8 of the Notice](#)

17.4 Will you make your own arrangement of Scribe?: Yes No

17.5 If Scribe is to be arranged by SSC, then indicate medium:

18. Whether seeking Age Relaxation? : * Yes No

18.1. If Yes, Age Relaxation code:

19. Preference of State(s)/ UT(s): *

A	B	D	F	1	3	9	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X			

Filling of all preferences is mandatory. However, if you want to give limited preferences then enter 'X' in remaining boxes.

Verify Preference of State(s)/UT(s):

A	B	D	F	1	3	9	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X			

20. Highest Educational Qualification: *

21. Details of Qualifying Educational Qualification: *

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="Passed"/>	<input type="text" value="2010"/>	<input type="text" value="Delhi"/>	<input type="text" value="Central Board of Second"/>	<input type="text" value="301739"/>	<input type="text" value="89"/>	<input type="text"/>

22. Do you want to make your personal information available for accessing job opportunities in terms of DoP&T's OM.No.39020/1/2016-Estt.(P) dated 21/06/2016? * Yes No
[Please see Para - 22 of the Notice](#)

23. Correspondence Address:

State:

District:

Pin:

24. Permanent Address

State:

Pin:

Mobile Number:

Email:

25. Contact Details for Other Nationals:

Photograph And Signature

Upload Photo with date printed on it

(See Para- 10.2 of Notice)*

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5

cm (height)

SamplePhot...hwithdate.jpg



Upload Signature *


Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0

cm (height)

SampleSignature.jpg



26. Date on which the uploaded photograph has been taken(DD/MM/YYYY):

27. Whether the date mentioned at S.No.26 is clearly printed on the Photograph:

Yes No

Declaration

1. I have read the Notice of the Examination, and accept all the Terms & Conditions of the Notice of the Examination.

2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage or not satisfying the eligibility criteria according to the Notice of Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated. I am willing to serve anywhere in India.

I Agree



Try Another

आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)

यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी _____ केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो _____ रु के वेतनमान में _____ के पद पर कार्य कर रहे/रही हैं। उन्हें अंतिम तिथि को इस ग्रेड में नियमित आधार पर सेवा करते हुए 3 वर्ष हो गए हैं ।

इस कार्यालय को उनके मल्टी टास्किंग (गैर-तकनीकी) स्टॉफ परीक्षा _____ में उनके शामिल होने से कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

कार्यालय की मुहर _____

स्थान:

दिनांक:

(* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)

_____ (रैंक)_____ (नाम)_____

(दिनांक)_____ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

(कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

कार्यालय की मुहर:

स्थान:

दिनांक:

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं, अनुक्रमांक

.....परीक्षा, 20 के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ

एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय

में.....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांकको कार्यालय

में.....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है । इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा ।

हस्ताक्षर:

नाम:

अनुक्रमांक:

दिनांक:

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:

कार्यमुक्ति की तिथि:

अंतिम इकाई / कोर:

मोबाइल नंबर:

ईमेल आईडी:.....

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____
पुत्र/पुत्री _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग*
_____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ के _____ अनुसूचित
जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैं:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____

संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित
संविधान(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959.

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962

संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@

संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@

संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007@

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ के माता/पिता श्री/श्रीमती _____ निवासी

_____ ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* _____ को

जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो _____ दिनांक _____ द्वारा

जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी _____ और/या* उनका परिवार सामान्यतः

ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ में रहता है।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान _____

दिनांक _____

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा २० में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ सुपुत्र/सुपुत्री _____ ग्राम/कस्बा _____ जिला/संभाग _____ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र _____ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं _____ - दिनांक _____* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

श्री/श्रीमती/कु० _____ तथा/या उनका परिवार सामान्यतः----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय जापन सं 36012/22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश

उपायुक्त आदि

दिनांक:

मुहर:

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

प्रारूप-V

निशक्तता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-----सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री --
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/
महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----
जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की
सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में ----- निदान किया गया है ।

(ग) वे दिशानिर्देशों ----- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने --
----- (शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध में ----- %(अंकों में) ----- % (शब्दों में)
स्थायी गतिविषयक दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रारूप-VI

निशक्तता प्रमाण पत्र
(बहु निशक्तता संबंधी मामलों में)
[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ----
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/
महिला----- पंजीकरण संख्या ----- मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर -----
जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की
सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है । उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों
(दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के
लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया
है:-

क्र. सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		

11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिजीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में प्रतिशत

शब्दों में प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा ।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर
----------------------	----------------------	------------------------

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

प्रारूप-VII

निशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

[नियम 18(1) देखें]

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी----- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---
-----जन्म तिथि ----- (दि/म/व) आयु ----- वर्ष पुरुष/
महिला----- पंजीकरण संख्या -----, जोकि मकान नं ----- वार्ड/गांव/गली ----- डाकघर --
----- जिला ----- राज्य ----- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी
गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे निशक्तता से पीड़ित
हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी
करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे
निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी			

	विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिजीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) वर्षमाह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र (तारीख) (माह)(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आँखें

€ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

प्रश्नपत्र-IIके लिए भाषाएं

क्रम संख्या	भाषा	कोड
01	हिन्दी	01
02	अंग्रेजी	02
03	असमी	03
04	बंगाली	04
05	बोड़ो	05
06	डोगरी	06
07	गुजराती	07
08	कन्नड़	08
09	कश्मीरी	09
10	कोंकणी	10
11	मैथली	11
12	मलयालम	12
13	मणिपुरी (मेइतेई अथवा मेइथेई भी)	13
14	मराठी	14
15	नेपाली	15
16	उड़िया	16
17	पंजाबी	17
18	संस्कृत	18
19	संथाली	19
20	सिंधी	20
21	तमिल	21
22	तेलगू	22
23	उर्दू	23

अभ्यर्थियों द्वारा वरीयता देने हेतु कोड

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कोड
1	चंडीगढ़	ए
2	जम्मू और कश्मीर	बी
3	हरियाणा	सी
4	हिमाचल प्रदेश	डी
5	पंजाब	ई
6	लद्दाख	एफ
7	दिल्ली	जी
8	राजस्थान	एच
9	उत्तराखंड	आई
10	बिहार	जे
11	उत्तर प्रदेश	के
12	झारखंड	एल
13	उड़िसा	एम
14	पश्चिम बंगाल	एन
15	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	ओ
16	सिक्किम	पी
17	अरूणाचल प्रदेश	क्यू
18	असम	आर
19	मणिपुर	एस
20	मेघालय	टी
21	मिजोरम	यू
22	नागालैंड	वी
23	त्रिपुरा	डब्ल्यू
24	छत्तीसगढ़	वाई
25	मध्य प्रदेश	जेड
26	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1
27	गोवा	2
28	गुजरात	3
29	महाराष्ट्र	4
30	आंध्र प्रदेश	5
31	पुदुचेरी	6
32	तमिलनाडु	7
33	तेलंगाना	8

34	कर्नाटक	9
35	केरल	10
36	लक्षद्वीप	11
37	अखिल भारतीय	12